कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,पलामू।

(जिला नजारत शाखा)

निविदा

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 3488/रा0, दिनांक 24.07.2015 से जिला में अवस्थित अतिथि गृह, परिसदन भवन एवं नूतन परिसदन भवन के संचालन के लिए आउट सोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण करने के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है, फलस्वरुप जिला मुख्यालय अवस्थित परिसदन भवन तथा नूतन परिसदन भवन, डालटनगंज के संचालन के लिये आउट सोर्सिंग निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 28-08-2017 से 11-09-2017 के अपराह्न 12:30 बजे जिला नजारत प्रशाखा, पलामू में रखे बक्शे में डाला जा सकेगा। निविदा दिनांक 11-09-2017 को 03:30 बजे अपराह्न उपायुक्त कार्यालय वेश्म में खोला जायेगा।

1. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन की आंतरिक साफ–सफाई, जिसके अंतर्गत कमरों, प्रसाधन गृहों, रसोई घर सहित पूरे परिसर की साफ–सफाई।
2. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन के लॉन बागीचा में पेड़ फूल एवं घास आदि की साफ एवं रख रखाव।
3. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन के कमरों एवं रसोईघर के फर्नीचर/उपस्कर आदि की मरम्मति एवं रख रखाव।
4. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन में लगे इलेक्ट्रोनिक्स विद्युतीय उपकरणों एवं जलापूर्ति आदि का रख रखाव।
5. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन में ठहरे हुए व्यक्तियों के लिये प्रशाधन की वस्तुएँ यथा तेल, साबुन, सैम्पु तौलिया आदि की आपूर्ति।
6. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन बेड़सीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, तौलिया आदि का आपूर्ति सफाई एवं धुलाई।
7. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन में निर्बाध विद्युत की व्यवस्था जेनरेटर सहित।
8. परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन में ठहरे हुए अतिथियों के लिये चाय, नाश्ता, भोजन पकाने आदि की व्यवस्था निर्धारित दर पर करना। निविदादाता चाय, नाश्ता, भोजन आदि का दर निविदा में प्रति प्लेट/कप के साथ मीनू सहित अंकित करेंगें जिसका समिति के द्वारा निविदादाता के समक्ष दर निर्धारण किया जायेगा तथा भोजन, चाय, नाश्ता आदि से होने वाली आय निविदादाता के पास ही रहेगी।

1. सुबह का नाश्ता–60 रूपये प्रति व्यक्ति

(क) चाय–एक कप

(ख) चार–पराठा, सब्जी, दही, भुजिया

या

दूध–एक ग्लास (दो सौ पचास एम0एल0) कार्न फलैक्स, दो अंडा, दो ब्रेड

2. दोपहर का खाना

(क) शाकाहारी–125 रुपये प्रति व्यक्ति (चावल, दाल, दो रोटी, एक सब्जी, भुजिया, सलाद एवं आचार)।

(ख) मांसाहारी–175 रुपये प्रति व्यक्ति (चिकेन या मटन या मछली तीन पीस, चावल, दाल, दो रोटी, एक सब्जी, भुजिया, सलाद एवं आचार)।

3. शाम का नाश्ता–15 रुपये प्रति व्यक्ति

एक कप चाय, दो बिस्किट, हल्का नमकीन।

4. रात का खाना

(क) शाकाहारी–125 रुपये प्रति व्यक्ति (चावल, दाल, दो रोटी, एक सब्जी, भुजिया, सलाद एवं आचार।

(ख) मांसाहारी–175 रुपये प्रति व्यक्ति (चिकेन या मटन या मछली तीन पीस, चावल, दाल, दो रोटी, एक सब्जी, भुजिया, सलाद एवं आचार)।

परिसदन भवन में भोजन, नाश्ते का मेनू एवं दर उपायुक्त महोदय की अनुमति से समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

उपरोक्त कार्यो के निष्पादनार्थ निविदादाता को अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंधित कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड अंकित करना होगा।

हाउस किपिंग चार्ज :–

(क)	मार्निंग किट (दो समाचार पत्र सहित)	100 रू0 प्रतिदिन
(ख)	वाशिंग किट	
(ग)	बेड शीट/चादर/मच्छरदानी/तौलिया/कम्बल आदि	
(घ)	साफ–सफाई	

तकनिकी बीड के अंतर्गत निम्नांकित कागजात संलग्न करना होगा।

(क) तकनिकी बीड में संस्था एवं व्यक्ति का वार्षिक टर्नओभर अद्यतन आयकर रिटर्न।

(ख) कैटरींग एवं हाउस किपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।

(ग) वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन (GSTin No.) प्राप्त हो।

(घ) फर्म/व्यक्ति के नाम से निर्गत आयकर रिटर्न की मान्य होगा।

(ड.) श्रम विभाग से निबंधित मजदूरों से ही उपरोक्त कार्य कराने होगें। उनका निबंधन प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा।

(च) संस्था के प्रोपराईटर का आचरण प्रमाण पत्र उपायुक्त द्वारा निर्गत।

वित्तीय बीड :–

उपरोक्त सेवायें प्रदान करने हेतु उपरोक्त के आधार पर उक्त कार्यो के लिए निविदादाता को मासिक राशि (सभी कर सहित) Quote करना होगा।

निविदा की शर्ते :–

(i) नूतन परिसदन भवन/परिसदन भवन में लगे सभी इलेक्ट्रोनिक एवं फर्नीचर साफ सफाई अच्छे ढंग से करनी होगी।

(ii) अतिथियों के प्रसाधन के लिये आवश्यक सभी सामग्री उच्च गुणवता के साथ करना होगा।

(iii) भोजन, नाश्ता, चाय की आपूर्ति समय पर एवं गुणवता के साथ करना होगा।

(iv) खाने एवं हाउस किपिंग से प्राप्त राशि एजेंसी को देय होगी।

(v) भोजन पंजी, अतिथि पंजी, रखरखाव पंजी आदि को उचित ढंग से संधारित करना होगा एवं निरीक्षण के लिये तैयार रखेंगे।

(vi) इस कार्य में पूर्ण प्रशिक्षित, व्यवहार कुशल एवं अच्छा आचरण वाले कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अनुमोदित ड्रेस कोड में करनी होगी, जिनका आचरण प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत होना चाहिए।

(vii) एकरारनामा के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं किये जाने पर मासिक राशि में अपेक्षित कटौती/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(viii) परिसदन भवन के कमरों का आरक्षण जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। नूतन परिसदन के कमरे खाली रहने की स्थिति में जिला प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त कर आप के स्तर से कमरे का आरक्षण किया जा सकेगा।

(ix) किराये की राशि दैनिक रूप से एजेंसी द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उक्त राशि जिला नजारत शाखा, पलामू में विवरणी के साथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) निविदा स्वीकृत करने अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

यह निविदा पलामू जिला के वेबसाईट http://www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है।

24/08/17
उपायुक्त, पलामू।